

न्यायालय तहसीलदार जालोर


सरकार बनाम दोतीशाम शं. भावाजी रेवारी  
मुकदमा नं. 10/19 RCMS-00002/2019  
धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

✓ पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल उपरिथत/अनुपस्थित, पटवारी हल्का बिदलसर की रिपोर्ट अनुसार मौजा देलदरी के खसरा नं. 134/134/2268 रकबा 0.12 किस्म गै.शु.आगोर भूमि पर संवत् 2076 में कब्जा रूप में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता में पर्याप्त समय देने के बावजूद कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किया। अतः राज० भू०रा० अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर ..... रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0.12 हैक्टर की दर 1.92 रुपये का पचास गुणा से 9.6 रुपये अक्षरे छिन्नु रुपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.12.19 को सुनाया गया।

  
तहसीलदार, जालोर  
तहसीलदार, जालोर